

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

पत्रांक...../

पटना, दिनांक.....

सं० सं०-०३/उ०नि०/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)-१८/२०१३

प्रेषक,

साकेत कुमार,  
संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में प्रवासी भारतीय दिवस में राज्य सरकार की सहभागिता हेतु ₹८०.०० लाख (अस्सी लाख रुपये) मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-१७४, दिनांक-१३.०१.२०१६ एवं शुद्धि पत्र ज्ञापनांक-७९९, दिनांक-२४.०२.२०१६ के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में प्रवासी भारतीय दिवस में राज्य सरकार की सहभागिता हेतु ₹८०.०० लाख (अस्सी लाख रुपये) मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

(२). उक्त स्वीकृत राशि का व्यय संलग्न परिशिष्ट १ के अनुरूप वर्णित मदों के अनुसार राशि का व्यय होगा।

(३). प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ०७-०९ जनवरी २०१७ तक बेगलूरु (कर्नाटक) में प्रस्तावित है।

(४). उक्त योजना का कार्यान्वयन एजेंसी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना है।

(५). स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष २८५१-ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष ००, लघु शीर्ष १०४-हस्तशिल्प उद्योग, माँग संख्या-२३, उप शीर्ष ०१०१-हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड P2851001040101, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5442, विषय शीर्ष २६ ०१ विज्ञापन और प्रकाशन मद में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसके लिये वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के आय-व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

(६). उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि एकमुश्त अग्रिम निकासी कर प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना को आर०टी०जी०एस० के माध्यम से उनके बैंक खाता में उपलब्ध करायेगें।

(७). इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इसका अनुश्रवण करेंगे।

(८). राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक ४२६३ दिनांक २०.०५.२०१४ द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जायेगी।

(९). इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड IND-5442 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय तथा व्यय प्रतिवेदन में योजना कोड तथा विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

(१०). प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका सं०-०३/उ०नि०/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)-१८/२०१३ के पृष्ठ-४५/टि० पर दिनांक-२४.०८.२०१६ को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या-५०६०/IDC, दिनांक-२४.०८.२०१६ है।

(११). राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-०३/उ०नि०/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)-१८/२०१३ के पृष्ठ-५४/टि० पर दिनांक-२८.१०.१६ को प्राप्त है जिसका डायरी संख्या-२०५/OSD, दिनांक-२७.१०.१६ है।

- (12). राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-8003 वि0(2), दिनांक-18.09.2008 में निहित पत्रांक पत्रांक-2938 वि0 (2), दिनांक-08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13). स्वीकृत राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के कंडिका-15 के शिथलीकरण प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
- (14). वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:-7355/वि0(2), दिनांक: 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह0/-

(साकेत कुमार)

संयुक्त सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

सं0सं0-03/उ0नि0/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)-18/2013

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(साकेत कुमार)

संयुक्त सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

सं0सं0-03/उ0नि0/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)-18/2013

प्रतिलिपि:-सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) अनुमानित व्यय विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(साकेत कुमार)

संयुक्त सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

सं0सं0-03/उ0नि0/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)-18/2013

प्रतिलिपि:- प्रबन्ध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(साकेत कुमार)

संयुक्त सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

सं0सं0-03/उ0नि0/योजना (प्रवासी भारतीय दिवस)-18/2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (मेला प्रभारी), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी-1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-1 (सरकार) योजना शाखा को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा-3, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(साकेत कुमार)

संयुक्त सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक.....

परिशिष्ट-1

प्रवासी भारतीय दिवस 07-09 जनवरी, 2017 तक बेगलूरु (कर्नाटक) में राज्य सरकार की सहभागिता हेतु बजट मुख्य शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104-हस्तशिल्प उद्योग, माँग संख्या-23, उप शीर्ष 0101-हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड P2851001040101, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5442, विषय शीर्ष 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन मद में अनुमानित व्यय विवरणी।

क्र०	मद	अनुमानित व्यय (राशि लाख में)
1	2	3
01.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को स्टॉल आरक्षण (विशेष राज्य सत्र-सम्मेलन की सुविधा सहित) हेतु शुल्क का भुगतान।	₹20.00
02.	सम्मेलन में राज्य सरकार की ओर से भाग लेने वाले डेलीगेट का निबंधन शुल्क का भुगतान।	₹10.00
03.	बिहार स्टॉल का निर्माण/साज-सज्जा इत्यादि विविध कार्य	₹20.00
04.	विज्ञापन/प्रचार-प्रसार/ब्रोसर प्रिंटिंग/विभिन्न पिन्टिंग कार्य/प्रेस कॉन्फ्रेंस/फिल्म निर्माण/प्रेजेंटेशन इत्यादि।	₹10.00
05.	विशिष्ट अतिथि/एन०आर०आई० सत्कार/उपहार/मेमेन्टो इत्यादि।	₹9.00
06.	यात्रा/आवासन/परिवहन/टैक्सी/कार्यालय व्यय एवं अन्य आकस्मिक व्यय।	₹10.00
07.	यात्रा व्यय (सरकारी/वियाडा के पदाधिकारियों/कर्मियों को छोड़कर)।	₹1.00
	कुल योग :-	₹80.00

(अस्सी लाख रुपये) मात्र।

24/1/16  
(साकेत कुमार)  
संयुक्त सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।